www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 09.01.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में राउरकेला स्टील प्लान्ट के कार्यकारी निदेशक व प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया एवं तलाशी के दौरान 20 लाख रू. (लगभग) का नकद बरामद किया

सीबीआई ने एक लाख रू. की घूसखोरी में राउरकेला स्टील प्लान्ट के कार्यकारी निदेशक (कार्य) एवं कोलकाता की प्राइवेट फर्म के प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया।

कार्यकारी निदेशक (कार्य), राउरकेला स्टील प्लान्ट, राउरकेला (ओडिशा) ; कोलकाता की प्राइवेट फर्म में कार्यरत दो प्राइवेट व्यक्ति यथा महाप्रबन्धक व प्रतिनिधि एवं अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धार 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 व 12 के तहत मामला दर्ज हुआ। ऐसा आरोप था कि कार्यकारी निदेशक (कार्य), राउरकेला स्टील प्लान्ट ने उक्त प्राइवेट व्यक्तियों सहित अन्यों के साथ मिलकर स्थापित मानदण्डों के उल्लंघन में निमार्णकर्ता, जिसका प्राइवेट व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने के साथ ही साथ इन ठेकों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन का कार्य भी देखता था, के पक्ष में इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मशीनरीज एवं पार्टस को राडरकेला स्टील प्लान्ट में आपूर्ति आदेशों को देने हेतु आपराधिक षड़यंत्र में शामिल हुए ; तथा उक्त कार्य को सुनिश्चित करने के लिए, प्राइवेट पार्टियॉं कथित रूप से उक्त कार्यकारी निदेशक को दोनो रूपों यथा नकद व वस्तुओं के रूप अवैध रिश्वत देते थे। ऐसा आगे आरोप था कि कार्यकारी निदेशक (कार्य) ने प्राइवेट फर्म के उक्त दो व्यक्तियों द्वारा कम्पनी से रिश्वत की मॉंग की जैसा कि कार्यकारी निदेशक ने राउरकेला स्टील प्लान्ट के प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कार्य करने के दौरान उनकी कम्पनी के पक्ष में "ए.एम.आर. सेल" के मुद्दे पर कार्य आदेश जारी कर दिया था।

मामले के पंजीकरण के पश्चात, सीबीआई ने जाल बिछाया एवं कार्यकारी निदेशक व प्राइवेट व्यक्ति को राउरकेला से प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा कार्यकारी निदेशक को उसके आवास पर 1,00,000 रू. की घूस राशि के साथ एक घड़ी देने के दौरान गिरफ्तार किया। राउरकेला, हजारीबाग, रॉंची, बोकारो व कोलकाता सहित आरोपी व्यक्तियों के 09 परिसरों में तलाशी की जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। कार्यकारी निदेशक के घर की तलाशी के दौरान नई मुद्रा के 20 लाख रू. (लगभग) की नकद राशि बरामद हुई। आगे की जॉंच जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों को नामित अदालत के समक्ष पेश किया जा रहा है।

****